राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी ए/4826/2001/अलवर

1. नत्थाराम
2. विजयराम पुत्रगण श्री सम्पत जाति मीणा निवासी ग्राम कंकराली तहसील व जिला अलवर

अपीलार्थीगण

बनाम

1. हुल्लड पुत्र पांचा जाति मीणा निवासी ग्राम सुनारी तहसील लक्षमणगढ जिला अलवर
2. श्रीमती सोमोती पुत्री सम्पत जाति मीणा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील लक्षमणगढ जिला अलवर
3. श्रीमती मोती पुत्री सम्पत जाति मीणा निवासी ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर
4. श्रीमती निक्की पुत्री सम्पत जाति मीणा निवासी ग्राम सेतली का बास तहसील राजगढ जिला अलवर

रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सूरजभान जैमन सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार सदस्य

उपस्थित
श्री एस.के.सेठी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अयूब खान अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांकः **29.8.2018**

द्वारा– श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1. यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11–7–01 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी हुल्लड ने अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लक्षमणगढ के न्यायालय में ग्राम सुनारी तहसील लक्षमगढ में स्थित वादपत्र में अंकित आराजी कें बाबत एक वाद इन कथनों के साथ पेश किया था कि वह व उसका छोटा भाई देवकरण उनकी माता भौरी की सरपरस्ती में रहकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व अर्थात करीब 30 वर्षो से वादग्रस्त आराजी काश्त करते चले आ रहे हैं। देवकरण का स्वर्गवास हो जाने के कारण वादी अकेला ही उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार हो गया है। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों की गलती से वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी के खाते में दर्ज हो रही है जबकि प्रतिवादी करीब 40 वर्ष पहले ही ग्राम सुनारी छोडकर ग्राम ककराडी में जाकर आबाद हो गया था। वह वहीं अपने बच्चों के साथ रहकर वहीं जीवनयापन कर रहा है तथा इस अवधि में कभी भी उसने ग्राम सुनारी में आकर वादग्रस्त आराजी को काश्त नहीं किया। वादी को गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 9–7–86 को उस समय हुई जब प्रतिवादी ने ग्राम सुनारी में आकर इस भूमि को विक्रय करने की बात की। तब वादी ने पटवारी हल्का से पूछताछ की तो जानकारी करने पर मालूम हुआ कि आराजी मुतनाजा के बाबत वास्तव में प्रतिवादी के नाम का इन्द्राज हो रहा है। इसके बाद वादी ने इस गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने को कहा तो दिनांक 16–7–86 को प्रतिवादी इन्कार हो गया। वादी का पिछले करीब 30 वर्ष से अधिक अवधि से वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहने से कानूनन उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अतः वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकारी घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि में मजाहमत मदाखलत नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई थी। एकपक्षीय साक्ष्य में वादी हुल्लड पी.डब्ल्यू.1 व हरिया पी. डब्ल्यू.2 के बयान लेखबद्ध करवाये गए तत्पश्चात् प्रतिवादी ने एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त कराने का आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर उभय पक्ष को सुना जाकर दरख्वास्त स्वीकार

की गई। प्रतिवादी ने जबाब दावा पेश कर उक्त तथ्यों से इन्कार किया और कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व वादी वादग्रस्त आराजी पर काबिज था। वादी के नाम का इन्द्राज बतौर शिकमी गलत चला आ रहा है। बल्कि सही बात यह है कि वादी व प्रतिवादी एक ही खानदान के सदस्य हैं वादी का पिता पांचा प्रतिवादी सम्पत का भाई था और वादी प्रतिवादी का खास भतीजा है। प्रतिवादी सम्पत ने करीब 25 साल पहले 3–4साल तक वादी से आधे बांटे पर यह भूमि काश्त कराई थी। उस वक्त वादी ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम का इन्द्राज बतौर शिकमी दर्ज करा लिया। उसके बाद प्रतिवादी ने स्वयं काश्त की है तथा अन्य दीगर गांव के लोगों से भाडे पर काश्त कराई है। प्रतिवादी करीब 10–12 साल पूर्व ग्राम ककराली में अपने भाई के पास चला गया। उसने सम्बत 2032 में पुनः वादी को आधे बांटे पर काश्त हेतु विवादित आराजी बताई थी। वादी प्रतिवादी को आधा अनाज पैदावार की देता चला आ रहा था और करीब तीन साल से बांटा यानि पैदावार देना बन्द कर दिया और विवादित आराजी पर जबरन कब्जा बहैसियत अतिक्रमी कर लिया। प्रतिवादी को अपनी खातेदारी की जमीन का उपभोग व इस्तेमाल करने का पूरा पूरा हक है तथा बेचान करने का भी वैधानिक अधिकार है। अतः वादी का दावा खारिज किया जावे।

3. जबाब दावा पेश करने के बाद प्रतिवादी पुनः असालतन वकालतन न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। इसलिये उसके विरूद्ध पुनः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, जिस पर वादी ने अन्य बयानात कराने से मना कर दिया तथा विचारण न्यायालय ने दिनांक 31–7–2000 को वाद खारिज कर दिया, जिसका मुख्य आधार यह था कि वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19(1–कक) के तहत विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते क्योंकि उसका वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जा साबित नहीं है। इस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 11–7–2001 को स्वीकार की गई, जिसका आधार यह है कि

वादी का कब्जा संवत् 2012 से 31–12–69 तक बतौर शिकमी साबित है। वादीएडवर्स पजेशन के आधार पर भी अपना वाद साबित करने में सफल रहा है। इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी के वारिसान ने यह अपील प्रस्तुत की हैं

4. तथ्यों की उक्त पृष्ठभूमि में इस प्रकरण में विधि के निम्न सारभूत बिन्दु उत्पन्न होते हैं।

(1) आया प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है?

(2) आया वादी के शिकमी काश्तकार के रूप में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होने बाबत कोई प्लीडिंग नहीं होने के बाबजूद प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री करने में विधिक भूल की है?

5. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की दलील है कि आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है। वादी ने वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे हैं। जबकि राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर नहीं की जा सकती है। इसके अलावा वादी ने वाद में यह अंकित नहीं किया है कि शिकमी किरायेदार के रूप में वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख से परे जाकर वादी को राहत प्रदान की है। वास्तविक स्थिति यह है कि यह वाद प्रस्तुत करने से 25 वर्ष पूर्व प्रतिवादी ने 3–4 साल के लिये आधे बांटे पर यह भूमि वादी से काश्त कराई थी। उस वक्त वादी ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम का इन्द्राज बतौर शिकमी दर्ज करा लिया। उसके बाद प्रतिवादी ने स्वयं काश्त की है तथा अन्य दीगर गांव के लोगों से भाडे पर काश्त कराई है। प्रतिवादी करीब 10–12 साल पूर्व ग्राम ककराली अपने भाई के पास आ गया था फिर संवत् 2032 में पुनः वादी को आधे बांटे पर काश्त हेतु विवादित आराजी बताई थी। वादी प्रतिवादी को आधा अनाज पैदावार की देता चला आ रहा था और करीब तीन साल से बांटा यानि पैदावार देना बन्द कर दिया और विवादित आराजी

पर जबरन कब्जा बहैसियत अतिक्रमी कर लिया। अपीलार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि का उपभोग व इस्तेमाल करने का पूरा पूरा हक है तथा बेचान करने का भी वैधानिक अधिकार है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर वाद खारिज किया जाये।

7. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के कथनों का विरोध किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय ने केवल कयासों के आधार पर वाद खारिज किया था जबकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से वाद बखूबी साबित था। वादी का सम्बत 2012 से पूर्व से इस भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19(1–कक) में वर्णित प्रावधानानुसार वर्ष 1969 में प्रत्यर्थी सबटीनेन्ट था। इसलिये प्रतिवादी की खातेदारी स्वतः समाप्त हो गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य का विधिवत परीक्षण कर वादी का वाद डिक्री करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खण्डन प्रतिवादी ने नहीं किया है। इसलिये वादी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

8. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. इस बारे में विवाद नहीं है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं। जहां तक कब्जे का प्रश्न है, वाद पत्र में वादी ने यह कथन किया है कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से वादग्रस्त आराजी पर अपने भाई देवकरण के साथ इस भूमि पर काबिज चला आ रहा है। इस प्रकार वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2015 आर आर टी 686 (तारा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का वाद डिक्री करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक भूल

की है। विधि का प्रथम सारभूत बिन्दु अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत की गई जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरियों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुये यह निष्कर्ष निकाला है कि वादी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से लेकर धारा 19(1–कक) में नियत दिनांक 31–12–69 तक लगातार इस भूमि पर कब्जा साबित नहीं होता है तथा इस प्रकार वादी धारा 19(1–कक) के तहत खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वार्षिक पंजिका में वादी दिनांक 31–12–69 को वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा शिकमी के रूप में साबित करने में असफल रहा है। इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष विधि सम्मत हैं तथा विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये कारणों को ध्यान में रखे बगैर अविधिक आधारों पर उक्त निष्कर्षों को पलटने में वैधानिक भूल की है। इस संबंध में 1986 आर आर डी 567 अल्लादीन बनाम कन्हैयालाल के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत महत्वपूर्ण है।

11. यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व रेकार्ड में वादी का इस भूमि पर बतौर शिकमी कब्जा अंकित है, जो कि परमीसिव पेजशन की श्रेणी में आता है, जिसे एडवर्स पजेशन में तबदील नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वादी ने परस्पर विरोधाभासी एवं असंगत प्ली के आधार पर अपना वाद प्रस्तुत किया है इसलिये उसे किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में 2007 आर आर डी पेज 321 बैजनाथ बनाम कानाराम, 2015(3) डी एन जे राजस्थान पेज 1050 होकमा बनाम मोहनलाल, 2006 आर आर डी पेज 77 जगन्नाथ बनाम लल्लूलाल, 2006(2) आर आर टी पेज 1161 सरकार बनाम इमदाद अली, 1999 आर आर डी पेज 427 रमेश बनाम राजस्थान राज्य के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त महत्वपूर्ण हैं। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना वादी का वाद डिक्री करने में विधिक भूल की है। इस प्रकार विधि का द्वितीय सारभूत प्रश्न

भी अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है। फलतः प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील काबिले स्वीकार है।

12. लिहाजा अपीलार्थीगण नत्थाराम व विजयराम की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–7–2001 निरस्त किये जाते हैं। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–7–2000 की पुष्टि की जाती है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(सूरजभान जैमन)
सदस्य